

UPMT010017732026



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा
 उपस्थिति :-डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP6191}

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-849/2026

सुशील आदि बनाम उ.प्र.राज्य

आदेश

1. अभियुक्तगण **सुशील पुत्र निहाल व घनश्याम पुत्र रामचरन** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-53/2026 धारा-191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 125, 352, 351(2) बी.एन.एस. व 7 सी.एल.ए. एक्ट, थाना- फरह, जिला- मथुरा में जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 20.02.2026 को समय करीब 12:35 बजे पीआरवी 6333 के कर्मचारियों द्वारा सूचना दी गयी कि ग्राम किरारई थाना फरह मथुरा में परचून की दुकान पर उधार सामान को लेकर दो पक्षों में वाद-विवाद व झगड़ा हो रहा है। सूचना पर उ०नि० अरविन्द सिंह मय हमराही उ०नि० राजेश कुमार व है०का० 1881 मौहर सिंह मौके पर पहुंचे, जहाँ दोनों पक्ष लाठी-डण्डा, ईंट-पत्थर, फर्सा आदि से लैस होकर एक-दूसरे पर हमलावर थे, मारपीट, गाली-गलौज, धमकी व पथराव कर रहे थे, जिससे गाँव में भय व अफरा-तफरी फैल गयी। उ०नि० द्वारा थाना पर सूचना देकर अतिरिक्त बल मांगा गया। पुलिस को देखकर दोनों पक्ष पुलिस पर भी हमलावर होने की बात कहने लगे। पुलिस कर्मियों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, किन्तु बल कम होने से स्वयं को बचाते हुए दोनों पक्षों को समझाया, फिर भी वे नहीं माने। घटना में प्रथम पक्ष के 11 नामित व 5-7 अज्ञात तथा द्वितीय पक्ष के 9 नामित व 6-7 अज्ञात महिला-पुरुष शामिल थे, जो सभी ग्राम किरारई थाना फरह जनपद मथुरा के निवासी हैं। दोनों पक्षों का यह कृत्य धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 125, 352, 351(2) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट के अंतर्गत अपराध पाया गया। अतः दोनों पक्षों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना है। उक्त के आधार पर थाना हाजा पर मु.अ.सं. 53/2026 अंतर्गत धारा 53/2026 धारा-191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 125, 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) व 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, अभियुक्त सुशील, घनश्याम व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत हुआ।
3. अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत

प्रार्थनापत्र है। उक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा स्वयं वादी बनकर धारा 109(1) बी.एन.एस. में रिमाण्ड कराया गया है, जबकि किसी भी व्यक्ति को जीवन के लिए प्राणघातक चोट नहीं आयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया है और पुलिस द्वारा गुडवर्क दिखाने के कारण उन्हें झूठा फँसाया गया है। घटना के अगले दिन दिनांक 21.02.2026 को गिरफ्तारी से स्पष्ट है कि यह कार्य केवल गुडवर्क दिखाने हेतु किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है और उनके विरुद्ध जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन का कथानक कपोल-कल्पित, भ्रामक एवं निराधार है तथा पुलिस द्वारा चिढ़कर सबक सिखाने के उद्देश्य से उन्हें निराधार तथ्यों के आधार पर फँसाया गया है। उक्त आधार पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न केस डायरी का अवलोकन किया गया।
6. अभियोजन के अनुसार ग्राम किरारई, थाना फरह, जनपद मथुरा में परचून की दुकान पर उधार सामान को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जो बाद में मारपीट, गाली-गलौज, पथराव व आपसी संघर्ष में परिवर्तित हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची, जहाँ दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमलावर थे।
7. अभियुक्तगण की ओर से तर्क दिया गया कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फँसाया गया है, घटना वास्तव में उनके साथ हुई मारपीट की है, जिसमें वे स्वयं पीड़ित हैं। यह भी कहा गया कि अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वे दिनांक 21.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, तथा उनके विरुद्ध कोई ठोस स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
8. स्वीकृत रूप से कथित घटना की रिपोर्ट किसी आहत पक्ष द्वारा न कराकर पुलिस द्वारा पंजीकृत कराई गयी है। घटना दो पक्षों के मध्य आपसी विवाद एवं मारपीट की है, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों के सम्मिलित होने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्तगण के दूसरे पक्ष से सम्बन्धित होने के अलावा, उनकी कोई पृथक भूमिका अभियोजन की ओर से नहीं बताई गई है। अभियुक्तगण की व्यक्तिगत भूमिका का निर्धारण विचारण (Trial) का विषय है। घटना में चुटैल बताये गये किसी चुटैल की कोई चोट प्राणघातक प्रकृति की हो, ऐसा अभियोजन पक्ष का कोई तर्क नहीं है। अभियुक्तगण दिनांक 21.02.2026 को जिला कारागार में निरुद्ध हैं साथ ही अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण की किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में भी कोई कथन नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में,

बिना प्रकरण के गुण-दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्तगण को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तदुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मुवलिग 1,00,000/- (एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो-दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाये-

- क- आवेदकगण/अभियुक्तगण समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होंगे,
- ख- आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेंगे,
- ग- आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होते रहेंगे एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेंगे,
- घ- आवेदकगण/अभियुक्तगण अभियोजन साक्षीगण को न डरायेंगे और न धमकायेंगे तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे,
- ङ- आवेदकगण/अभियुक्तगण आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

9. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक:-25.03.2026

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-03, मथुरा।
ID - UP6191